

In the Court of श्रीमती प्रिन्सी अग्रवाल, .J.MF.C. indore (M.P.)

SUM NO. 37/65/26

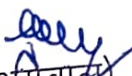
-: निर्णय :-

(आज दिनांक 08/08/2026 को घोषित)

01. अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति किये जाने के आधार पर यह सावित हैं कि दिनांक 07/8/26 को समय लगभग 20.57 बजे, स्थान आरक्षी केन्द्र पञ्चराम में स्थित, सैबोर्ट चौराहा लोकमार्ग पर शराब पीकर वाहन क्रमांक MP14MV4082 को चलाया। परिणामतः अभियुक्त को धारा 185 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।
02. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति एवं समाज पर उसके पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुये अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।
03. अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्वदोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया की गयी अपराध स्वीकारोक्ति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को धारा 185 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में 10,000/-रुपये (दस हजार रुपये) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा जुर्माना राशि अदा न किये जाने पर अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।
04. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन उसके विधिक स्वामी को स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश करने पर लौटाया जावे।

खुले न्यायालय में घोषित व हस्ताक्षरित किया।

मेरे निर्देशन पर अंकित किया।


(श्रीमती प्रिन्सी अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इंदौर (म.प्र.)


(श्रीमती प्रिन्सी अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इंदौर (म.प्र.)